राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांकःएफ 28( )पंराविं/प्रशा.2/पंचा.प्र.अ./अध्ययन स्वीकृति /2015/ 4767 जयपुर, दिनांक/5-01-2020

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद–अलवर, बीकानेर, बाड़मेर,
करौली, भरतपुर, जालोर एवं प्रतापगढ़।

विषयः– **कार्मिकों के योग्यता अभिवृद्वि की अनुमति/स्वीकृति के प्रस्ताव भिजवाये जाने के संबंध में।**

प्रसंगः– आपके एवं वि. अ. संबंधित एवं कार्मिक के पत्रांक व दिनांक 03.01.19, 523/24.01.19,12.07.19,2552/09.08.19,1106/20.11.19, 19230–31/25.11.19, 2421/24.10.19, 1351/17.12.19, 335/19.12.19 एवं 2788/23.12.2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों/प्रार्थना पत्रो द्वारा निम्न पंचायत प्रसार अधिकारियों के उच्च अध्ययन/योग्यता अभिवृद्वि के संबंध में स्वीकृति/अनुमति चाही गई है:–

क्र. स.	नाम पंचायत प्रसार अधिकारी	पदस्थापित स्थान	अध्ययन जिसके लिए स्वीकृति चाही है।
1.	श्री राणाराम	पं.स. बालोतरा (बाड़मेर)	बी.ए. अंतिम वर्ष
2.	श्री सुभाष चंद	पं.स. तिजारा (अलवर)	बी.ए. एवं एम.ए.
3.	श्री राजेन्द्र कुमार	हॉल आदेशों की प्रतीक्षारत	बी.ए. प्रथम वर्ष
4.	श्री राजेश कुमार मीणा	संभागीय आयुक्त कार्यालय, बीकानेर	बी.ए. द्वितीय वर्ष
5.	श्री हीरालाल भील	पं.स. पीपलखूंट (प्रतापगढ़)	स्नातक
6.	श्री विश्वनाथ सिद्व	पं.स. लूणकरनसर (बीकानेर)	स्नातक प्रथम वर्ष
7.	श्री भीमाराम	पं.स. बाड़मेर (बीकानेर)	स्नातक
8.	श्री विक्रम जांगिड़	पं.स. बाड़मेर (बीकानेर)	एम.ए. फाईनल
9.	श्री हरबल राम मीना	पं.स. टोडाभीम (करौली)	स्नातक
10.	श्री पन्नालाल	पं.स. रूपवास (भरतपुर)	स्नातक
11.	श्री जयकिशन खिलेरी	पं.स. चितलवाना (जालौर)	बी.एस. डब्ल्यू द्वितीय वर्ष

उक्त प्राप्त प्रस्तावो अपूर्ण है, उनमें अर्जित अन्तिम योग्यता के दस्तावेज संलग्न नहीं, किस वर्ष कौनसी परीक्षा में बैठना चाहते है, बाबत स्पष्ट उल्लेख नहीं है एवं कुछ प्रस्ताव जिला परिषदों के माध्यम से प्राप्त नहीं होकर सीधे ही पंचायत समितियों से या कार्मिक के प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं, जिसके कारण चाहे गये अध्ययन की स्वीकृति प्रदान किया जाना संभव नहीं है।

राज सेवक को सेवा में रहते हुए स्वयंपाठी के रूप उच्च अध्ययन इत्यादि की अनुमति राजस्थान सेवा नियम एवं कार्मिक (क–3/जॉच) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 9(5)(30) कार्मिक/क–3/जॉच/2000 दिनांक 18.11.2006 अध्यधीन प्रदान की जाती है।

Scanned by CamScanner

अतः उच्च अध्ययन हेतु चाही अनुमति प्रस्तावो में चाहे गये अध्ययन स्वीकृति से पूर्व की अर्जित अन्तिम योग्यता की अंकतालिका/डिग्री एवं उक्त योग्यता के सेवापुस्तिका में इन्द्राज की प्रमाणित भिजवाये। साथ ही मान्यता प्राप्त किस विश्वविद्यालय/बोर्ड से अध्ययन करना चाहता है, का स्पष्ट उल्लेख किया जावे एवं प्रत्येक वर्ष की अलग–अलग अनुमति लेनी आवश्यक होने के मद्देनजर किस वर्ष में कौनसा अध्ययन करना चाहता है, बाबत स्थिति स्पष्ट करते हुए जिला परिषद के माध्यम से पूर्ण प्रस्ताव भिजवाना सुनिश्चित करावें। ताकि प्रकरणों में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

(अनुप्रेरणा सिंह कुन्तल)
अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव (II)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद–समस्त।
2. विकास अधिकारी, पं.स. समस्त।
3. ए.सी.पी.मुख्यालय को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु।

अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव (II)

Scanned by CamScanner